

दूरसंचार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति

दूरसंचार क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कैप/इक्विटी	प्रवेश मार्ग	अन्य शर्तें
1	<p>दूरसंचार सेवाएं (दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-1 सहित)</p> <p>बेसिक, सेलुलर, एकीकृत अभिगम सेवाएं, एकीकृत लाइसेंस (अभिगम सेवाएं), एकीकृत लाइसेंस, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय लम्बी दूरी, वाणिज्यिक वी-सैट, पब्लिक मोबाइल रेडिया ट्रंक्स सेवाएं (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल परसनल कम्युनिकेशन्स सर्विसेज (जीएमपीसीएस), सभी प्रकार के आईएसपी लाइसेंस, वॉयस मेल/ ऑडियोटेक्स/ यूएमएस, आईपीएलसी का पुर्नविक्रय, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवाएं, अन्य सेवा प्रदाताओं को छोड़कर अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-1 (डार्क फाइबर, मार्गाधिकार, डक्ट स्पेस, टॉवर प्रदान करना) जैसे दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-1 सहित सभी दूरसंचार सेवाएं</p>	100 प्रतिशत	<p>49 प्रतिशत तक स्वचालित</p> <p>49 प्रतिशत के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफआईपीबी</p>	दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित यथा लाइसेंसधारकों और निवेशकों के द्वारा अनुपालन के अधीन
2	दूरसंचार उपकरणों का निर्माण	100 प्रतिशत	स्वचालित	-----